न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/02/2021	2021/85	08.10.2021	16.01.2025

1. सुन्दर लाल पुत्र बिरदू जाति गुर्जर निवासी ग्राम गोडाला की ढाणी तन आगर तहसील थानागाजी जिला अलवर (राज0)।

—प्रार्थी

बनाम

1. गंगासहाय पुत्र गोविन्दा जाति मीणा,
2. मोहन पुत्र भोमा जाति मीणा,
3. जोधा पुत्र बसन्ता जाति मीणा,
   निवासी ग्राम आगर तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।
4. भू—आवंटन/विनियमन सलाहकार समिति थानागाजी जर्ये अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी अलवर राज0।

—अप्रार्थीगण

अपीलप्रार्थना पत्र जेर नियम 14 (4) भू—आवंटन नियम, 1970 विरूद्ध आदेश दिनांक 27.06.1989

उपस्थितः—
01—श्री लक्ष्मणसिंह पोसवाल —वकील प्रार्थी
02—श्री के.के. शर्मा —वकील अप्रार्थीगण 1 ला0 3
02—राजकीय अभिभाषक —वकील अप्रार्थी सं0 4

—:निर्णयः—

वकील प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—14 (4) उपखण्ड अधिकारी अलवर भूमि आवंटन आदेश दिनांक 27.06.1989 जिसके द्वारा अप्रार्थी सं0 1 ला0 3 के पक्ष में विवादित आराजी का आवंटन किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र 14(4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना—पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि आराजी खसरा नबर साबिक 2138 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा जिसका हाल खसरा नंबर 2236 रकबा 0.53 हैक्टर बना है, वाके ग्राम आगर तहसील थानागाजी जिला अलवर में स्थित है जिस पर प्रार्थी का कब्जा कदीमी से यानि करीब 55—60 सालो से चला आ रहा है। माह जून 2013 को अप्रार्थी संख्या 1 ला0 3 ने प्रार्थी को कब्जा से बेदखल करने की कोशिश की और कहा कि यह आराजी हमें आवंटित हो गई है इसलिए इस पर से अपना कब्जा हटालो वर्ना तुम्हारे खिलाफ बेदखली की कार्यवाही करेंगे और जबरन बेदखल करके कब्जा करेंगे। तब प्रार्थी ने पटवारी हलका से सम्पर्क किया तो उसने बताया कि विवादित आराजी अप्रार्थी संख्या 1 ला. 3 को दिनांक 27—06—89 को आवंटित हो गई है जिस पर प्रार्थी ने तहसील थानागाजी में उक्त आवंटन के बारे में जानकारी करवाई तो आवंटन की फाईल ही नही मिली फिर उसके बाद एस डी ओ कार्यालय थानागाजी में जानकारी कराई तो वहां पर भी फाईल नही मिली फिर एस.डी.ओ अलवर के यहां तलाश करवाई तो वहां भी फाईल नही मिली उसके बाद जिला भू अभिलेखागार कार्यालय में फाईल तलाश करवाई जहां पर अप्रार्थी संख्या 1 ला. 3 का आवंटन फार्म मिला जिसके पीछे ही आवंटन करने का आदेश लिखा हुआ है जिसकी नकल के लिए प्रार्थना पत्र दिनांक 14—08—13 को पेश करवाया जो नकल उसी

अति. जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

दिन मिली जिसे वकील साहब को दिखाया तो उन्होने कहा कि उक्त आवंटन को निरस्त कराने की कार्यवाही प्रार्थनापत्र धारा 14 (4) आवंटन नियम के तहत पेश कर करनी पडेगी जिस पर प्रार्थी ने खर्चे का इंतजाम किया और यह प्रार्थना पत्र तैयार कराकर आज बिना देरी के पेश किया जा रहा है। आज्ञा भू आवंटन सलाहाकार समिति दिनांक 27-06-89 न्यायिक प्रक्रिया, विधि एवम तथ्यो तथा मौके व कब्जे के खिलाफ है जिस कारण निरस्त किए जाने योग्य है। आवंटन कमेटी के आदेश करने से पूर्व उपरोक्त आराजी का सर्वसाधारण को सूचनार्थ कोई नोटिस जारी नहीं किया गया ना ही मौके पर जाकर आराजी की वस्तुस्थिति के बारे में कोई जानकारी ली गई अपितू मनमाने तरीके से नियम विरूद्ध आवंटन की आज्ञा पारित की गई है तथा वक्त आवंटन आराजी मुतनाजा खाली नही थी और कानूनन ऐसी आराजी का आवंटन नही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आवंटन कमेटी की आज्ञा वो आवंटन निरस्त होने योग्य है निरस्त फरमाया जावे। अप्रार्थी संख्या 1 ला. 3 को उक्त आवंटन के बाद ना तो उक्त आराजी पर दखल दिया गया और नाही आराजी मुतनाजा पर अप्रार्थी संख्या 1 ला. 3 द्वारा काश्त की गई। वैसे भी आराजी मुतनाजा काबिल काश्त रकबा नही है उक्त आराजी उबड खाबड ऊंची नीची है जिस पर प्रार्थी का कब्जा आज से 55-60 साल पूर्व से निरंतर चला आ रहा है। प्रार्थी ने उक्त आराजी में 4 कच्चे घर, एक रसोई बना रखी है एवं मकानो में (पुख्ता) घरेलू बिजली का कनेक्शन भी ले रखा है एक तरफ पुख्ता डण्डा भी बना रखा है एवं दूसरी तरफ कांटेदार बाड लगा रखी है एवं घरो के आगे खाली जमीन में प्रार्थी ने नीम पीपल कीकर के पेड लगा रखे है जिस खाली जमीन में प्रार्थी अपने पशु वगै0 बांधता है, पशुओं की ठयाण बना रखी है, ईधन बलीता चारा खाद उपले आदि रखता है और घरों में रिहायशी सामान चूल्हा चाकी आदि रखे हुए है जिसमें प्रार्थी अपने परिवार सहिता रहता आ रहा है। आज भी प्रार्थी का कब्जा है एवं बाकी आराजी को प्रार्थी ने काफी जिसमानी मेहनत करके एवं स्वयं की लागत लगाकर उबड खाबड आराजी को समतल करके काश्त हेतू योग्य बनाकर प्रार्थी द्वारा काश्त की जा रही है।

अप्रार्थी 1 ला. 3 का आज तक विवादित आराजी के किसी भी हिस्से पर कोई कब्जा काश्त नही है और ना कभी भी रही। ऐसी स्थिति में भी भू आवंटन सलाहाकार समिति का आलोच्य आदेश निरस्त होने योग्य है। राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 नियम 14 (3) के अनुसार आवंटी को आवंटन के प्रथम वर्ष में भूमि के कम से कम 50 प्रतिशत भाग को और बाकी भाग को दूसरे साल में काश्त करना होता है। जिस शर्त का आवंटी द्वारा पालन करना होता है। यदि ऐसा नही होता है तो वह आवंटन निरस्त होने योग्य होता है। अप्रार्थी संख्या 1 ला. 3 ने उक्त शर्त की कतई पालना नही की है क्योकि उन्होने आवंटन के प्रथम साल में व द्वितीय साल में क्या आज तक कोई काश्त नही की है ना ही उनका कब्जा है। इसलिए ऐसा आवंटन कानूनन निरस्त होने योग्य है। आवंटन अधिकारी ने 1970 के आवंटन नियम 8, 9, 10, 11 की पालना नही की है जोकि आवश्यक व अनिवार्य होता है ऐसी स्थिति में भी उक्त आवंटन निरस्त होने योग्य है। आवंटन कमेटी ने कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम 5 की पालना नही की है जिसके अंतर्गत तहसीलदार प्रत्येक साल 30 सितम्बर तक अनाधिकृत सरकारी भूमियों को सिचिंत व असिंचित दोनो सूचि प्रपत्र में तैयार करेगा और एस.डी.ओ को प्रस्तुत करेगा जो पंचायत समिति एवं तहसील कार्यालय में निरीक्षणार्थ उपलब्ध रहेगी। ऐसा आवंटन कमेटी द्वारा नहीं किया गया है। इस कारण भी आवंटन कमेटी की आज्ञा विधि विरूद्ध है और निरस्त किए जाने योग्य है। आवंटन कमेटी में 1970 के नियम 7 के अनुसार आवंटन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करते हुए उदघोषणा जारी नही की। आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन नियम 1970 के नियम 7 (2) की पालना भी नहीं की है। उदघोषणा में 2 सप्ताह की कालावधि या जनहित में जब भी किसी विशेष क्षेत्र के लिए जारी की जावेगी जो खसरा नंबरान का आवंटन किया जाना है उसका उपखण्ड अधिकारी के सूचना पट पर लगाया जावेगा तथा किसी लोक समागम के स्थान पर भी उदघोषणा चिपकाने की तारीख से गणना की जावेगी। इसकी पालना आवंटन कमेटी द्वारा

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर 16/1/25

नही की गई है। ऐसी सूरत में भी आवंटन कमेटी की आज्ञा काबिल निरस्तनीय है। आवंटन सलाहाकार समिति को प्रार्थी का कब्जा पुराना मानते हुए तथा प्रार्थी अन्य पिछडा वर्ग (ओ.बी. सी.) का होने के कारण प्रार्थी के हक में आवंटन/नियमन करना चाहिए था लेकिन आवंटन सलाहाकार समिति ने गौर नही किया। उक्त आधारो पर आवंटन/विनियमन आज्ञा दिनांक 27–06–89 निरस्त होने तथा प्रार्थी के हक में आवंटन/नियमन किए जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान के श्रवण योग्य है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भू आवंटन सलाहाकार समिति थानागाजी (अलवर) की आज्ञा दिनांक 27–06–89 जिसके द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 ला. 3 को आराजी खसरा नंबर साबिक 2138 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा जिसका हाल खसरा नंबर 2236 रकबा 0.53 हैक्टर बना है, वाके ग्राम आगर तहसील थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज. का आवंटन किया गया है, उसे मंसूख (निरस्त) किए जाने वो प्रार्थी के हक में उक्त आराजी विनियमन/आवंटन किए जाने की आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 3 ने अपने समर्थन में निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर साबिक 2138 रकबा 02 बीधा 02 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 2236 रकबा 0.53 हेक्टर बना है जो वाके ग्राम आगर तहसील थानागाजी जिला अलवर मे स्थित है। उक्त आराजीयात मिन अप्रार्थी संख्या 1 ला0 3 की आवंटित आराजी है जिससे प्रार्थी का कभी कोई कब्जा या लेना देना नही रहा तथा प्रार्थी मिन अप्रार्थी संख्या 1 ला० 3 की आवंटित आराजी पर जबरन कब्जा करने की नियत से यह झूठा व बेबुनियाद आधारो पर प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष लेकर आया है जो इसी बिना पर खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी का मिन अप्रार्थी संख्या 1 ला० 3 की आवंटित आराजी से कोई लेना देना व कब्जा ही नही रहा और ना हि वर्तमान में किसी प्रकार कोई सम्बन्ध है तो प्रार्थी को माह जून 2013 को बेदखल करने की कौशिश करने का सवाल ही पैदा नही होता है तथा प्रार्थी को प्रारम्भ से ही यह जानकारी थी कि उक्त आराजीयात मिन अप्रार्थी संख्या 1 ला० 3 की आवंटित आराजी है जिससे उसका किसी प्रकार कोई लेना देना नही है लेकिन प्रार्थी जो अप्रार्थी संख्या 1 ला० 3 से दिली रंजीश रखता है जो केवल मिन अप्रार्थी संख्या 1 ला0. 3 की आराजी पर बिना किसी हक व अधिकार के कब्जा करने की नियत से यह झूठे आधारो पर एवं तंग व परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। भू आवंटन सलाहाकार समिति दिनांक 27.06. 1989 को सही प्रकार व मौके के अनुसार एवं नियमो के अनुसार मिन अपर्थी संख्या 1 ला० 3 को आराजी आवंटित की गई है और मिन अप्रार्थी संख्या 1 ला० 3 का कब्जा चला आ रहा है व मौके पर भी कब्जा व काशत है। तमाम तथ्य झूठे व काल्पिक आधारो पर दर्ज किये गये है आवंटन कमेटी द्वारा मौके पर जाकर आराजी की वस्तुस्थिति के बारे मे बखूबी जानकारी कर अपने नियमो के अनुसार आंवटित की गई है तथा उक्त प्रार्थना पत्र केवल अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की नियत से पेश किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

मिन अप्रार्थीगण संख्या 1 ला० 3 वक्त आवंटन से आराजी पर बतौर आवंटी कब्जा चला आ रहा है एवं मौके पर भी मिन अप्रार्थी संख्या 1 ला० 3 का ही कब्जा है और अप्रार्थी संख्या 1 ला० 3 का ही निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी की किसी प्रकार मौके पर कोई रिहायश नही है और ना हि प्रार्थी को मिन अप्रार्थी संख्या 1 ला० 3 की आवंटित आराजी पर रिहायश करने का कोई कानूनी अधिकार है अगर रिहायाश होती तो वह अतिक्रमी की श्रेणी में आता है तथा अप्रार्थी की आवंटित आराजी है जिससे प्रार्थी का कोई लेना देना नही है। और ना हि प्रार्थी किसी प्रकार भू आवंटन सलाहाकार समिति का आदेश किसी प्रकार निरस्त कराने का अधिकारी है। मिन अप्रार्थी संख्या 1 ला० 3 का आवंटन दिनांक 27.06.1989 किसी प्रकार से निरस्त होने योग्य नही है। आराजी खसरा नम्बर साबिक 2138 रकबा 02 बीधा 02 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 2236 रकबा 0.53 हेक्टर बना है जो वाके ग्राम आगर तहसील यानागाजी जिला अलवर में स्थित है मिन अप्रार्थीगण संख्या 1 ला० 3 वक्त आवंटन से आराजी पर बतौर

16.1.15

आवंटी कब्जा चला आ रहा है एवं मौके पर भी मिन अप्रार्थी संख्या 1 ला० 3 का ही कब्जा है और अप्रार्थी संख्या 1 ला० 3 का ही निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी की किसी प्रकार मौके पर कोई रिहायश नहीं है और ना हि प्रार्थी को मिन अप्रार्थी संख्या 1 ला० 3 की आवंटित आराजी पर रिहायश करने का कोई कानूनी अधिकार है, अगर रिहायाश होती तो वह अतिक्रमी की श्रेणी में आता है तथा अप्रार्थी की आवंटित आराजी है जिससे प्रार्थी का कोई लेना देना नही है और ना ही प्रार्थी किसी प्रकार भू आवंटन सलाहाकार समिति का आदेश किसी प्रकार निरस्त कराने का अधिकारी है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने की कृपा करें।

अप्रार्थी सं0 4 की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत एवं नियमानुसार आवंटन किया गया है। अतः निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने की कृपा करें।

पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अवलोकन एवं वकुलाय की वहस पर चिन्तन–मनन किया। वकील प्रार्थी द्वारा आवंटन में बताई गई अनियमितता के संबंध में कोई साक्ष्य/सबूत पत्रावली में पेश नहीं किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि पर आवंटन के समय से ही काश्त की जा रही है एवं किसी प्रकार का कोई रिहायश नहीं है। उक्त आराजी से संबंधित आवंटन के खातेदारी के अधिकार अप्रार्थीगण को मिल चुके हैं। अप्रार्थी सं0 4 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि भू–आवंटन सलाहकार समिति थानागाजी जर्ये अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी अलवर द्वारा अप्रार्थी सं0 1 लागयत 3 के पक्ष में पारित आवंटन आदेश दिनांक 27.06.1989 उचित है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि/अनियमितता नहीं पाई जाती है। भू–आवंटन सलाहकार समिति थानागाजी जर्ये अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी अलवर द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 27.06.1989 विधि के अनुसार एवं न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र 14 (4) भू–आवंटन नियम–1970 सारहीन होने से अस्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 सारहीन होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)